


6. वादी ने अपने राजकीय दस्तावेजात यथा वादी के वादी का पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा प्रमाण पत्र मूल प्रदर्श-2 एवं उसकी फोटोप्रति प्रदर्श-2ए, वादी के राशन कार्ड की मूल प्रदर्श-3 एवं उसकी फोटोप्रति प्रदर्श-3ए, वादी का आधार कार्ड मूल प्रदर्श-4 एवं उसकी फोटोप्रति प्रदर्श-4ए, वादी का पेन कार्ड मूल प्रदर्श-5 एवं उसकी फोटोप्रति प्रदर्श-05ए में वादी का सही नाम मोतीलाल प्रजापत पुत्र शिवराम दर्ज है।


वादी के वाद पत्र, तहसीलदार-जैतारण के जवाब दावा एवं संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट, वादी के साक्ष्य शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह साबित होता है, मोतीराम पुत्र शिवराम एवं मोतीलाल प्रजापत पुत्र शिवराम एक ही व्यक्ति है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी काश्तकारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने स्वयं के नाम में त्रुटि एवं विसंगति को दूर करवाकर या हटवाकर अपना वास्तविक सही एवं दस्तावेजी नाम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों को शुद्ध करवाए जाने का अधिकार प्राप्त है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, जवाब दावे एवं साक्ष्य-सबूतों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम "मोतीलाल प्रजापत पुत्र शिवराम" दर्ज किया जाना उचित समझते हैं। अतः वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होंगे एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया तहसील जैतारण जिला-ब्यावर में वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 139/1 रकबा 2.4281 बारानी दोयम के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टी "मोतीराम पुत्र शिवराम" के स्थान पर "मोतीलाल प्रजापत पुत्र शिवराम" दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)